

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 617]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 नवम्बर 2010—अग्रहायण 9, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्र. डी-15-58-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-3-99-चौदह-4, दिनांक 15 मार्च 2000 को आंशिक संशोधन करते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित कृषि उपज “कपास” (बिना ओटी हुई) चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो, के विक्रय पर अथवा अधिसूचित कृषि उपज “कपास” (बिना ओटी हुई) चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो, और प्रसंस्करण में उपयोग के लिये लाई गई हो, की कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर के स्थान पर रुपये एक की दर से मण्डी फीस नियत करती है :

परन्तु इस प्रकार संशोधन द्वारा नियत की गई मण्डी फीस में से मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-5-2000-चौदह-3, दिनांक 4 अप्रैल 2003 की अनुसूची-एक में नियत की गई मद अर्थात् “किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि” में कोई राशि देय नहीं होगी.

यह अधिसूचना “राजपत्र” में प्रकाशन के दिनांक से आगामी केवल एक वर्ष के लिये प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
विजय पंडित, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्र. डी-15-58-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
विजय पंडित, उपसचिव.

Bhopal, the 30th November, 2010

No. D-15-58-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby partly amend this Department's notification No. 15-3-99-XIV, dated 15th March 2000 and fix the market fee at the rate of one rupee in place of rupees two for every one hundred rupees of the price on sale of notified Agricultural Produce "Cotton" (unginned) whether brought from within the State or from out side the State in the market area or notified Agricultural Produce "Cotton" (unginned) whether brought from within the State or from out side the State in the market area and used for processing:

Provided that, from the market fee so fixed by revision, no money shall be payable in proviso of this department's notification No. D-15-5-2000-XIV-3, dated 4th April 2003, that the determined head of amount in Schedule-one, namely, "Farmers Road Fund and Agricultural and Infrastructure Development Fund".

This notification shall come into force for a period of only one year from the date of publication in "Gazette".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY PANDIT, Dy. Secy.